बिहार सरकार,
पर्यावरण एवं वन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार, पटना। पटना 14, दिनांक–

विषय – नालंदा एवं गया जिलान्तर्गत रिलायन्स जीयों इन्फोकॉम लि० द्वारा जहानाबाद–राजगीर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.89964 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नालंदा एवं गया जिलान्तर्गत रिलायन्स जीयों इन्फोकॉम लि० द्वारा जहानाबाद–राजगीर पथ के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.89964 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु स्टेट कॉडिनेटर, बिहार, बी० डी० कम्पलेक्स, प्लॉट न० 210 एवं 233 रूपसपुर, बेली रोड, दानापुर, पटना का प्रस्ताव वन संरक्षक, पटना एवं गया अंचल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल राज्य के दो वन प्रमंडलों से होकर गुजरेगी जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	नालंदा	0.4217	0
2	गया	0.47794	0
	कुल	**0.89964**	**0**

उपर्युक्त तालिका के अतिरिक्त वन प्रमंडल पदाधिकारी गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना निर्माण स्थल पर 1338 वृक्ष अवस्थित है जिसका परियोजना निर्माण के क्रम में पातन नहीं किया जायेगा।

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल नालंदा एवं गया जिलान्तर्गत अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से हो कर गुजरती है। पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 400 दिनांक 16.02.1994 एवं 1647 (E) दिनांक 20.12.1994 **इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल** 0.89964 **हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा किया गया है** दोनों वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी नालंदा एवं गया द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व क्रमशः 0.2 एवं 0.1 प्रतिवेदित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Referring Map ऑन लाईन में प्रदर्शित है।

5. परियोजना का निर्माण नालंदा एवं गया जिलान्तर्गत होना है। इन जिलों में अपयोजित होने वाली वन भूमि क्रमशः 0.4217 एवं 0.48498 हे० के लिये जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं गया द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा सूचित किया गया है कि परियोजना निर्माण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है, परन्तु वन प्रंडल पदाधिकारी, नालंदा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्व ारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया था वर्त्तमान में कार्य बंद है।

7. यद्धपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है हरितावरण को बनाये रखने हेतु 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी दर पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

8. दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण मद में 200 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से वर्त्तमान मजदूरी दर ली जायेगी।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. NPV Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु देय नहीं है।
3. यद्धपि परियोजना निर्माण में वृक्षों का पातन नहीं किया जा रहा है हरितावरण को बनाये रखने हेतु 50 वृक्षों के क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन वर्त्तमान मजदूरी पर प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
4. दण्डात्मक क्षतिपूरक वनीकरण मद में 200 वृक्षों के रोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी से वर्त्तमान मजदूरी दर ली जायेगी।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– FC-219 दिनांक 15/08/2018

प्रतिलिपि – स्टेट कॉडिनेटर, बिहार, बी० डी० कम्पलेक्स, प्लॉट न० 210 एवं 233 रूपसपुर, बेली रोड, दानापुर, पटना/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवादा वन प्रमंडल नालंदा/ गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।